

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला- ओ.पी. ए.सी.बी नागौर, थाना - प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर।
वर्ष-2022 प्र0इ0रि0 सं260/20 दिनांक.. 29/6/2022
2. (I) अधिनियम :- धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018
(II) अधिनियम धारायें
(III) अधिनियम धारायें
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें
3. (अ) योजनामचा आम रपट संख्या 566 समय 3-10 PM
(ब) अपराध घटने का दिन - मंगलवार, दिनांक 28.06.2022 समय 11.50 ए.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ...23.06.2022...समय..... 12.30 पी.एम.....
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक - लिखित
5. घटनास्थल :- कार्यालय सहायक अभियन्ता, एवीवीएनएल, नागौर (शहर)।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :- बजानिब उत्तर-पश्चिम करीब 2 कि.मी.
(ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थानाजिला
6. (i) परिवादी :-
(अ) नाम - श्री अब्दुल्ला अरशद
(ब) पिता/पति का नाम - श्री मोहम्मद इब्राहिम
(स) जन्म तिथी- उम्र - 30 वर्ष
(द) राष्ट्रियता - भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या जारी होने की तिथि
जारी होने की जगह
- (र) व्यवसाय - सोलर व्यवसायी
(ल) पता - सिटी कोतवाली के पीछे, बीकानेर, जिला बीकानेर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
 1. श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री बिरदीचन्द जाति रेगर उम्र 41 वर्ष निवासी ट्रक युनियन के पीछे, प्लॉट नं0 160, शास्त्री नगर, नागौर हाल अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, एवीवीएनएल (शहर), नागौर।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य - 25,000/- रुपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षितहो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

सेवामे,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर

विषय :- AEn AVVNL (शहर) के बाबू प्रकाश चन्द को रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथ पकडवाने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि मैं अब्दुला अरशद पुत्र मो. इब्राहीम जाति मुसलमान उम्र 30 वर्ष निवासी सिटी कोतवाली के पीछे बीकानेर का रहने वाला हूँ मेरा सोलर प्लांट लगाने का व्यवसाय है जिसमें उपभोक्ता का कनेक्शन एम.डी. सुलेमानी नाम से था जिसको नाम परिवर्तन कर सैयद इक्तेखार हुसैन करना व लोड बढ़ाना था। जिस पर मैंने बाबू प्रकाश चन्द्र से मिला

4/PM

तो मेरे से पच्चीस हजार रुपये रिश्वत की मांग की तथा कहा कि 16-17 हजार का डिमांड राशि निकलेगी एंवम 7-8 हजार रुपये मेरे को रिश्वत के देने होंगे। मैं मेरे वाजिब काम के बदले प्रकाश चन्द बाबू को रिश्वत देना नहीं चाहता हूँ। रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। मेरा बाबू से कोई उधार लेन देन नहीं है तथा नाहि कोई रंजिश है। कानूनी कार्यवाही करें।

दिनांक :- 23.06.2022

प्रार्थी

sd

अब्दुल्ला अरशद

निवासी:- बीकानेर

Mob- 9252081724

कार्यवाही पुलिस

निवेदन है कि दिनांक 23.06.2022 को वक्त 12.30 पी.एम. पर प्रार्थी श्री अब्दुला अरशद पुत्र श्री मो. इब्राहीम जाति मुसलमान उम्र 30 वर्ष निवासी सीटी कोतवाली के पीछे बीकानेर ने चौकी हाजा पर उपस्थित होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष इस आशय की पेश की कि मैं अब्दुला अरशद पुत्र मो. इब्राहीम जाति मुसलमान उम्र 30 वर्ष निवासी सीटी कोतवाली के पीछे, बीकानेर का रहने वाला हूँ मेरा सोलर प्लान्ट लगाने का व्यवसाय है जिसमें उपभोक्ता का कनेक्शन एम.डी. सुलेमानी नाम से था जिसको नाम परिवर्तन कर सैयद इफ्तेखार हुसैन करना व लोड बढ़ाना था। जिस पर मैंने बाबू प्रकाश चन्द्र से मिला तो मेरे से पच्चीस हजार रुपये रिश्वत की मांग की तथा कहा कि 16-17 हजार का डिमांड राशि निकलेगी एंवम 7-8 हजार रुपये मेरे को रिश्वत के देने होंगे। मैं मेरे वाजिब काम के बदले प्रकाश चन्द बाबू को रिश्वत देना नहीं चाहता हूँ। रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। मेरा बाबू से कोई उधार लेन देन नहीं है। तथा नाहि कोई रंजिश है। कानूनी कार्यवाही करें। जिसे पढ़कर परिवादी को सुनाया गया तो उसमें अंकित बातें सही होना व स्वयं द्वारा लिखित तथा स्व हस्ताक्षरित होना बताया। मजिद दरियाफ्त पर मौखिक बताया कि मैं सोलर प्लान्ट लगाने का व्यवसाय करता हूँ। मेरे उपभोक्ता श्री सैयद इफ्तेखार हुसैन के बिजली कनेक्शन में एम.डी. सुलेमानी के स्थान पर नाम परिवर्तन कर सैयद इफ्तेखार हुसैन करवाने व विद्युत लोड बढ़वाने हेतु मुझे अधिकृत किया गया है तथा द्वारा रिश्वत मांगने पर मैंने उपभोक्ता सैयद इफ्तेखार हुसैन से इस संबंध में बात की तो उसके विरुद्ध ट्रेप कार्यवाही करवाने की सहमति दी। प्रार्थी ने तहरिरी रिपोर्ट में लिखी हुई बातों की ताईद की। तहरिरी रिपोर्ट के अनुसार मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है। अतः नियमानुसार रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर अलमारी में से निकाल कर परिवादी श्री अब्दुल्ला अरशद को उसे ऑपरेट करने की समझाईस की गई तथा उसे समझाया की वह श्री प्रकाश चन्द बाबू एवीवीएनएल नागौर (शहर) के पास जाकर अपने काम व रिश्वत लेन-देन के सम्बन्ध में वार्ता करें तथा कार्यालय के श्री नेमीचन्द कानि0 नं0 405 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाते हुए रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ जानें की हिदायत की गई। ताबाद परिवादी श्री अब्दुल्ला अरशद को कार्यालय का डिजिटल वॉयस टेप रिकॉर्डर देकर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय एवीवीएनएल नागौर (शहर) के लिए रवाना किया गया। कुछ समय बाद श्री नेमीचन्द कानि. नम्बर 405 मय परिवादी श्री अब्दुल्ला अरशद के उपस्थित आया तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर पेश किया। परिवादी ने बताया कि हम एसीबी चौकी नागौर से मोटरसाईकिल से रवाना होकर कार्यालय सहायक अभियन्ता एवीवीएनएल नागौर (शहर) पहुँचे, जहाँ पर श्री प्रकाश चन्द बाबू अपने कमरे में उपस्थित मिला, जिस पर मैंने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर श्री प्रकाश चन्द बाबू से मिला तथा मेरे काम के संबंध में बातचीत की तो प्रकाश चन्द बाबू ने एम.डी. सुलेमानी का बिजली कनेक्शन में नाम परिवर्तन कर सैयद इफ्तेखार हुसैन करवाने व विद्युत लोड बढ़वाने की एवज में श्री प्रकाश चन्द बाबू द्वारा मेरे से 25,000/- रुपये राशि जिसमें से 16-17 हजार रुपये राजकीय राशि व शेष लगभग 8-9 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई। जिसमें सोमवार-मंगलवार तक रुपये देना तय हुआ है। इसके बाद मैं वहाँ से रवाना होकर आपके कानि. श्री नेमीचन्द के पास जाकर टेप रिकॉर्डर बन्द करके दे दिया। उसके बाद हम दोनों वहाँ से रवाना होकर कार्यालय एसीबी नागौर आ गये। इसके पश्चात श्री नेमीचन्द कानि. ने परिवादी के उपरोक्त कथनों की ताईद की। जिस पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर रिकॉर्डिंग सुनी गयी तो रिश्वत मांग

सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। परिवादी ने बताया कि श्री प्रकाश चन्द बाबू के कहेनुसार रिश्वत के रुपये सोमवार-मंगलवार तक देने हैं। जिस पर परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25,000/- रुपये की व्यवस्था कर इस कार्यालय में उपस्थित होने तथा गोपनीयता की हिदायत देकर रूखसत किया गया तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 28.06.2022 को परिवादी श्री अब्दुला अरसद रिश्वत राशि 25,000 रुपये लेकर कार्यालय में उपस्थित आया, जिस पर श्री नेमीचन्द कानि0 नं0 405 को दो स्वतन्त्र गवाहों की तलबी हेतु कार्यालय निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर के नाम की तहरिर देकर रवाना किया गया। कुछ समय बाद श्री नेमीचन्द कानि0 मय दो स्वतन्त्र गवाहान श्री करण लामरोड़ पुत्र श्री पुनाराम जाति जाट उम्र 30 वर्ष निवासी मानासर, पुलिस थाना कोतवाली नागौर, जिला नागौर हाल कनिष्ठ लेखाकार व श्री रामदयाल पुत्र स्व0 श्री हरीराम जाति जाट उम्र 30 साल निवासी खेण पोस्ट इनाणा, पुलिस थाना मूण्डवा, जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर के उपस्थित कार्यालय आये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट गवाहान श्री करण लामरोड़ कनिष्ठ लेखाकार व श्री रामदयाल कनिष्ठ सहायक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर को पढकर सुनाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये। जिस पर उन्होंने सन्तुष्ट होकर स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमती प्रदान की। जिस पर अग्रीम ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री अब्दुला अरसद को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने का कहने पर अपनी जेब से भारतीय चलन मुद्रा के दो-दो हजार रुपये के 12 नोट व पांच सौ-पांच सौ रुपये के 02 नोट कुल 25,000/- रुपये श्री प्रकाश चन्द बाबू एवीवीएनएल नागौर (शहर) को बतौर रिश्वत देने के लिए अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये, जिनका विवरण इस प्रकार है :-

क्र.सं.	नोट का प्रकार	नोट नम्बर
1	दो हजार रुपये का एक नोट	8DR 728080
2	दो हजार रुपये का एक नोट	4KA 174179
3	दो हजार रुपये का एक नोट	3FV 383296
4	दो हजार रुपये का एक नोट	5DK 465515
5	दो हजार रुपये का एक नोट	3DL 752710
6	दो हजार रुपये का एक नोट	6DD 879854
7	दो हजार रुपये का एक नोट	2KH 726196
8	दो हजार रुपये का एक नोट	8KM 564545
9	दो हजार रुपये का एक नोट	3GK 848102
10	दो हजार रुपये का एक नोट	2GE 505833
11	दो हजार रुपये का एक नोट	0KQ 846919
12	दो हजार रुपये का एक नोट	7KG 870672
13	पाँच सौ रुपये का एक नोट	9SH 332184
14	पाँच सौ रुपये का एक नोट	7PW 612169

तत्पश्चात् कार्यालय अलमारी में से फिनोपथलीन पाउडर का डिब्बा निकालकर उपर्युक्त सभी नोटों पर कार्यालय के श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक से हल्का-हल्का फिनोपथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री अब्दुला अरसद की जामा तलाशी गवाह श्री रामदयाल से लिवाई गई तो कोई आपतिजनक वस्तु/राशि नहीं मिली। श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक से फिनोपथलीन पाउडर लगे 25,000/रुपये परिवादी श्री अब्दुला अरसद के पहनी पेंट की बायीं जेब में रखवाये गये। परिवादी श्री अब्दुला अरसद को बताया गया कि इन नोटों को तब तक नहीं छुए जब तक आरोपी रिश्वत की मांग नहीं करें तथा उसके द्वारा रिश्वत मांगने पर उक्त फिनोपथलीन पाउडर लगे नोट अपनी जेब से निकाल कर उसे देवे तथा अपने कार्य से सम्बन्धित वार्ता करें। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर ट्रेप दल के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेर कर इशारा करें तथा मन् निरीक्षक पुलिस को मिस कॉल भी करें। यह भी ध्यान रखे कि आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद कहां रखता है या

छुपाता है। दोनों गवाहों को भी निर्देश दिए गये कि यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती लेन-देन व इनके बीच होने वाली वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् कार्यालय से एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी रंगहीन रहा। गिलास के इस रंगहीन घोल में श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार दोनों गवाहों व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफथलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया का महत्व दृष्टान्त देकर समझाया गया। फिनोफथलीन पाउडर के डिब्बे को दुरुस्त अलमारी में रखवाकर गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया तथा कागज जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया है उसे जलवाया जाकर गिलास व श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक के हाथों को साबुन व पानी से साफ धुलवाये गये। समस्त ट्रेप दल सदस्यों के हाथ साफ धुलवाकर आवश्यक निर्देश दिए गये तथा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साफ धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाए गये। परिवादी श्री अब्दुला अरसद को वक्त रिश्वत लेन-देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये कार्यालय के वॉयस टेप रिकॉर्डर को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया। पृथक से फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद वक्त 11.40 ए.एम. पर परिवादी श्री अब्दुला अरसद को अपनी मोटर साईकिल से कार्यालय सहायक अभियन्ता एवीवीएनएल नागौर (शहर) को रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी के पिछे-पिछे मय गवाहान श्री करण लामरोड़ व श्री रामदयाल, ट्रेप दल के सदस्य सर्वश्री मोहन सिंह पुलिस निरीक्षक, सुरेन्द्र सिंह हैड कानि. 48, राजेन्द्र झूरिया कानि. 150, नेमीचन्द कानि0 405, कानाराम कानि0 532, मांगीलाल कानि0 423 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय प्राईवेट वाहन के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय सहायक अभियन्ता एवीवीएनएल नागौर (शहर) को रवाना हुई। श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में छोड़ा गया। ताबाद मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाहान श्री करण लामरोड़ व श्री रामदयाल, ट्रेप दल के सदस्य कार्यालय सहायक अभियन्ता एवीवीएनएल नागौर (शहर) के पास पहुंचे, जहां सड़क पर एक साईड में दोनों वाहनों को खड़ा कर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर आरोपी से सम्पर्क करने हेतु कार्यालय सहायक अभियन्ता एवीवीएनएल नागौर (शहर) के भवन की तरफ रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान ट्रेप दल के सदस्य अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए कार्यालय सहायक अभियन्ता एवीवीएनएल नागौर (शहर) के आस-पास खड़े होकर परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। समय 11.50 ए0एम0 पर परिवादी श्री अब्दुला अरसद ने कार्यालय सहायक अभियन्ता एवीवीएनएल (शहर) नागौर के मुख्य गेट के सामने खड़ा होकर रिश्वत स्वीकृति का पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेर कर किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप दल के सदस्यों को साथ लेकर परिवादी के पास कार्यालय सहायक अभियन्ता एवीवीएनएल (शहर) नागौर के मुख्य गेट के सामने परिवादी के पास पहुंची। इस पर परिवादी श्री अब्दुला अरसद ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं श्री प्रकाश चन्द बाबू, कार्यालय सहायक अभियन्ता, एवीवीएनएल (शहर), नागौर के पास रिश्वत राशि लेकर गया और मेरे काम के सम्बन्ध में तथा रिश्वत के बारे में बातचीत की। श्री प्रकाश चन्द बाबू द्वारा रिश्वत की मांग करने पर मैंने अपने पहनी पेंट की बायीं जेब से रिश्वत राशि निकालकर श्री प्रकाश चन्द बाबू को दिये तो श्री प्रकाश चन्द बाबू ने रुपये अपने बायें हाथ में लेकर अपने पहनी जींस पेंट की बायीं जेब में रख लिये। उसके बाद मैंने आपको कार्यालय सहायक अभियन्ता एवीवीएनएल (शहर) नागौर के मुख्य गेट के सामने से ही सिर पर हाथ फेर कर ईशारा कर दिया। जिस पर परिवादी को पूर्व में दिया गया डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी व एसीबी स्टाफ तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान को लेकर कार्यालय सहायक अभियन्ता एवीवीएनएल (शहर) नागौर के अन्दर पहुंची तो परिवादी ने ईशारा कर बताया की उक्त कमरे के अन्दर बैठा व्यक्ति ही श्री प्रकाश चन्द बाबू है। जिसने अभी-अभी मेरे से 25,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त की है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए, उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री बिरदीचन्द जाति रेगर उम्र 41 वर्ष निवासी ट्रक युनियन के पिछे, प्लॉट नं0 160, शास्त्री नगर, नागौर हाल अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, एवीवीएनएल (शहर), नागौर होना बताया। श्री प्रकाश चन्द

4/3/17


अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक से रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा गया तो उसने बताया कि श्री अब्दुला अरसद मेरे पास आया व उपभोक्ता सैयद इफितेखार हुसैन के बिजली कनेक्शन में एम.डी. सुलेमानी के स्थान पर नाम परिवर्तन कर सैयद इफितेखार हुसैन करवाने व विद्युत लोड बढ़वाने हेतु फाईल लगवाई थी, जिस पर मैंने लोड बढ़ाने के नाम पर 25,000/- रुपये लिये थे, उक्त राशि मैंने परिवादी से लेकर मेरे जीस पेंट की बायीं जेब में रखी थी जो अभी मेरी जेब में ही है, उक्त कथन पर परिवादी श्री अब्दुला अरसद ने स्वतः ही बताया कि दिनांक 23.06.2022 को श्री प्रकाश चन्द अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक ने मेरे उपभोक्ता सैयद इफितेखार हुसैन के बिजली कनेक्शन में एम.डी. सुलेमानी के स्थान पर नाम परिवर्तन कर सैयद इफितेखार हुसैन करवाने व विद्युत लोड बढ़वाने की एवज में 25,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग की थी जो आज दिनांक 28.06.2022 को देना तय हुआ था, जो मैंने अभी-अभी 25,000/- रुपये रिश्वत राशि श्री प्रकाश चन्द अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक को दी हैं। मेरे से रिश्वत राशी श्री प्रकाश चन्द अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक ने अपने हाथ में लेकर अपने पहनी जीस पेंट की बायीं जेब में रखे हैं। मेरे उपभोक्ता श्री सैयद इफितेखार हुसैन के बिजली कनेक्शन की पत्रावली श्री प्रकाश चन्द अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक के पास है। रिश्वत लेने की ताईद होने पर श्री प्रकाश चन्द अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक का दायां व बायां हाथ कलाई के उपर से मेरे निर्देश से क्रमशः कानि0 श्री कानाराम व श्री नेमीचन्द से पकड़वाये गये। गवाह श्री रामदयाल से श्री प्रकाश चन्द अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक के पहनी जीस पेंट की बायीं जेब की तलाशी लिवाई गई, जिसमें मिले रूपये गवाह श्री रामदयाल ने निकालकर गिने तो उसने 2000-2000 रूपये के 12 नोट व 500-500 रूपये के 02 नोट कुल 25,000/- रूपये होना बताया तथा इन रूपयों के अलावा आरोपी की जेब में 14,620/- रूपये और मिले, जिनके बारे में आरोपी श्री प्रकाश चन्द से पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया, जिस पर उक्त रूपयों को संदिग्ध राशि मानते हुए कब्जा एसीबी लिये गये। रिश्वत राशि व संदिग्ध राशि को गवाह श्री रामदयाल के पास सुरक्षित रखवाये गये। आरोपी श्री प्रकाश चन्द अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक को परिवादी से संबंधित पत्रावली के बारे में पूछा गया तो बताया कि पत्रावली मेरे पास ही है, जो पेश की, जिसका अवलोकन किया गया। आईन्दा पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जायेगी। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से दो कांच के साफ गिलास निकलवाकर गिलासों में पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। एक गिलास के उक्त रंगहीन घोल में श्री प्रकाश चन्द अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः RH-1 व RH-2 अंकित किया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में श्री प्रकाश चन्द अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः LH-1 व LH-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गवाह श्री रामदयाल के पास सुरक्षित रखवाई गई रिश्वती राशि 25,000/- रूपये को दोनों गवाहों से नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो वही नोट हुबहू होना पाये गये। उपरोक्त सभी नोटों (25,000/-रूपये) को कागज की एक चिट में सील बन्द कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को कब्जा एसीबी ली गई। आरोपी श्री प्रकाश चन्द अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक के पेंट की जेब से बरामद 14,620/- रूपये संदिग्ध राशि को कागज की एक चिट में सील बन्द कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् एक कांच के साफ गिलास में पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री प्रकाश चन्द अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक के पहनने हेतु दूसरी पेंट की व्यवस्था कर पहनी जीस पेंट बरंग आसमानी को उतरवाकर उसकी बायीं जेब को उल्ट कर घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः P-1 व P-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। जीस पेंट बरंग आसमानी की बायीं जेब को उलटकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की थैली में वजह सबूत शिल्ड चिट कर मार्क 'S-1' अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी से पूर्व में प्राप्त वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर उसमें वक्त रिश्वत लेन-देन की रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वती लेन देन की पुष्टि होना पाया गया, जिसकी फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट अलग से तैयार की जायेगी। इस प्रकार आरोपी श्री प्रकाश चन्द अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, एवीवीएनएल (शहर), नागौर

द्वारा परिवादी सौलर व्यवसायी श्री अब्दुला अरसद के उपभोक्ता सैयद इफितेखार हुसैन के बिजली कनेक्शन में एम.डी. सुलेमानी के स्थान पर नाम परिवर्तन कर सैयद इफितेखार हुसैन करवाने व विद्युत लोड बढ़वाने की एवज में आरोपी श्री प्रकाश चन्द अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, एवीवीएनएल (शहर), नागौर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न 25,000/- रुपये राशि जिसमें से 16-17 हजार रुपये राजकीय राशि व शेष लगभग 8-9 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर, मांग के अनुसरण में आज दिनांक 28.06.2022 को परिवादी से कार्यालय सहायक अभियन्ता एवीवीएनएल (शहर) नागौर परिसर के अपने कमरे में रुपये 25,000/- रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने पर आरोपी श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री बिरदीचन्द जाति रेगर उम्र 41 वर्ष निवासी ट्रक युनियन के पिछे, प्लॉट नं0 160, शास्त्री नगर, नागौर हाल अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, एवीवीएनएल (शहर), नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का जुर्म प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने से श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री बिरदीचन्द जाति रेगर उम्र 41 वर्ष निवासी ट्रक युनियन के पिछे, प्लॉट नं0 160, शास्त्री नगर, नागौर हाल अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, एवीवीएनएल (शहर), नागौर को जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। ताबाद मन् पुलिस निरीक्षक मय आरोपी श्री प्रकाश चन्द, परिवादी व स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप दल के सदस्य मय सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय प्राईवेट वाहन व माल वजह सबूत के बाद ट्रेप कार्यवाही एसीबी कार्यालय नागौर पहुंच कर अग्रीम कार्यवाही शुरू की गई। आरोपी श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री बिरदीचन्द जाति रेगर उम्र 41 वर्ष निवासी ट्रक युनियन के पिछे, प्लॉट नं0 160, शास्त्री नगर, नागौर हाल अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, एवीवीएनएल (शहर), नागौर के विरुद्ध धारा 7, पी.सी. (संशोधन) एक्ट 2018 का अपराध घटित होना पाया जाने पर आरोपी को उपरोक्त जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका निरीक्षण घटनास्थल मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाब्ता द्वारा आरोपी के परिवारजानों की मौजूदगी में आरोपी श्री प्रकाश चन्द अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक के ट्रक युनियन के पिछे, प्लॉट नं0 160, शास्त्री नगर, नागौर स्थित रिहायसी मकान की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई व वॉयस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर न्यायालय हेतु तथा वार्ता की दो डीवीडीयां पृथक-पृथक बनवाई गई। दोनों डीवीडीयां कागज के लिफाफे में बन्द कर आरोपी व अनुसंधान अधिकारी हेतु सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा वॉयस रिकॉर्डर में रिश्वत लेने-देन दर्ज वार्ता को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर दर्ज वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई व वॉयस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर न्यायालय हेतु तथा वार्ता की दो डीवीडीयां पृथक-पृथक बनवाई गई। दोनों डीवीडीयां कागज के लिफाफे में बन्द कर आरोपी व अनुसंधान अधिकारी हेतु सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा बरामद रिश्वत राशि 25,000/- रुपये व संदिग्ध राशि 14,620/- रुपये शील्ड चिट्ट, शील्ड शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH-1 व RH-2, LH-1 व LH-2 व P-1 व P-2 आरोपी के पहनी जींस पेन्ट बरंग आसमानी शील्ड शुदा कपड़े की थैली में मार्क S-1, वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड कपड़े की थैली में शील्ड न्यायालय हेतु व एक डी.वी.डी. आरोपी हेतु कागज के लिफाफे बन्द व रिश्वती लेने-देन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड कपड़े की थैली में शील्ड न्यायालय हेतु व आरोपी हेतु एक डी.वी.डी. कागज के लिफाफे में बन्द, माल मालखाना प्रभारी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि. 48 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही का समय-समय पर रनिंग नोट पृथक से तैयार किया गया।

उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री प्रकाश चन्द अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, एवीवीएनएल (शहर), नागौर द्वारा परिवादी सौलर व्यवसायी श्री अब्दुला अरसद के उपभोक्ता सैयद इफितेखार हुसैन के बिजली कनेक्शन में एम. डी. सुलेमानी के स्थान पर नाम परिवर्तन कर सैयद इफितेखार हुसैन करवाने व विद्युत लोड बढ़वाने की एवज में आरोपी श्री प्रकाश चन्द अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, एवीवीएनएल (शहर), नागौर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अपने वैद्य

पारिश्रमिक से भिन्न 25,000/- रूपये राशि जिसमें से 16-17 हजार रूपये राजकीय राशि व शेष लगभग 8-9 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर, मांग के अनुसरण में दिनांक 28.06.2022 को परिवादी से कार्यालय सहायक अभियन्ता एवीवीएनएल (शहर) नागौर परिसर के अपने कमरे में रूपये 25,000/- रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने पर आरोपी श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री बिरदीचन्द जाति रेगार उम्र 41 वर्ष निवासी ट्रक युनियन के पिछे, प्लॉट नं0 160, शास्त्री नगर, नागौर हाल अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, एवीवीएनएल (शहर), नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का जुर्म प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त आरोपी के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

भवदीया,



(सुशीला विश्नोई)


निरीक्षक पुलिस,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

नागौर

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुशीला विश्‍नोई, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) आरोपी श्री प्रकाश चन्द, अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, एवीवीएनएल (शहर), नागौर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 260/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2286-90 दिनांक 29.6.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संख्या-1, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सचिव (प्रशासन), ए.वी.वी.एन.एल, अजमेर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर।


पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।